



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34913 वर्ष 2025

दीपक गौतम

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: संदीप कुमार पांडे

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: मजाहर अली, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार पांडे, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री मजाहर अली और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक दीपक गौतम की ओर से दायर की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान वाद संख्या 12/2020, धारा 354-ए आईपीसी और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8, पुलिस स्टेशन पवारा, जिला जौनपुर में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 15.09.2025 से कारावास में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। उसका एक आपराधिक इतिहास है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की अर्जी दी गई है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का कठोर विरोध किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले/अपराध संख्या में अभियुक्त-आवेदक **दीपक गौतम** को, उनके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14 जनवरी, 2026

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।